

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उप तहसीलदार फागलिया, जिला बाडमेर

प्रार्थी
सरकार जरिये पटवारी
पटवारी पनोरिया

बनाम

राजस्व मुकमदमा सं. 18/2024
विप्रार्थी

श्री सुकडान हेतुडान
जाति च्याकर निवासी पनोरिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक 13/08/2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि पटवारी हल्का पनोरिया ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि ग्राम पनोरिया के खसरा सं. 493/229..... रकबा 4.02 अर्ब .. बीघा किस्म गे. 1455 पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया जाना बताया है। अप्रार्थी के विरुद्ध हल्का पटवारी द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी को नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अप्रार्थी तारीख पेशी पर हाजिर हुआ/नही हुआ। विवादित आराजी के सम्बन्ध मे बावजूद अवसर अपने पक्ष/स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकरण मे हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया।

हल्का पटवारी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलोच्य प्रकरण मे पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमी द्वारा बिना समक्ष स्वीकृति के अवैध कब्जा करना पाया गया। विवादग्रस्त भूमि की किस्म गे. 1455 है, जो कि प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मे आती है उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित करता हूँ।

अतः अप्रार्थी को विवादग्रस्त राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजी पर अवैध कब्जा करने पर बतौर लगान/शास्ति के वार्षिक लगान 0.55 का 50 गुणा अनुसार रूपये 0.3 अक्षरे 110.445 जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का पनोरिया को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को नियमानुसार नाजायज कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना सात दिवस मे पेश करें। अतिक्रमी के विरुद्ध आरोपित जुर्माना की राशी वसूली एवं मांग कायमी हेतु हल्का पटवारी पनोरिया एवं तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 13/08/2024 को सरे इजलास लिखकर सुनाया गया।

(भोसारा म. र. ट. स.)

उप तहसीलदार फागलिया